



R SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED

[Corporate Identity Number : L74899DL1993PLC053579]
Registered Office: B - 104A, Greater Kailash - I, New Delhi - 110 048
Corporate Office : C-40, Sector 59, NOIDA, Distt. Gautam Budh Nagar,
U.P., India - 201 307
Tel : +91 120 4303500; Fax : +91 120 2587123
Website : www.rsystems.com; Email : rsystems.india@rsystems.com

**BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI**

Company Application Number CA(CAA)-25(PB)/2018

In the Matter of the Companies Act, 2013

And

In the Matter of Sections 230 - 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016

And

In the matter of the Scheme of Amalgamation between GM Solutions Private Limited and R Systems International Limited and their respective shareholders and creditors

And,

In the matter of:

GM Solutions Private Limited

Having its registered office at:

B - 104A, Greater Kailash, Part - 1, New Delhi - 110048

CIN: U72900DL2000PTC108233

Petitioner Company-I/Transferor Company/Amalgamating Company

R Systems International Limited

Having its registered office at:

B - 104A, Greater Kailash, Part - I, New Delhi - 110048

CIN: L74899DL1993PLC053579

Petitioner Company-II/Transferee Company/Amalgamated Company

ADVERTISEMENT OF NOTICE CONVENING MEETING OF EQUITY SHAREHOLDERS OF THE TRANSFEREE COMPANY

Notice is hereby given that by an order dated March 08, 2018, the New Delhi Bench of the National Company Law Tribunal ("Tribunal") has directed a meeting to be held of the Equity Shareholders of the Transferee Company i.e. R Systems International Limited for the purpose of considering and if thought fit, approving with or without modifications, the amalgamation proposed to be made between the Transferor Company with the Transferee Company as aforesaid.

In pursuance of the said order and as directed therein, further notice is hereby given that a meeting of the Equity Shareholders of the Transferee Company will be held at **Air Force Auditorium, Near Army Hospital Research and Referral, Subroto Park, New Delhi 110010 on Saturday, May 05, 2018, at 10:00 A.M.**, at which time and place the said Equity Shareholders are requested to attend.

Copy of the said Scheme of Amalgamation and of the statement under section 230 - 232 and Section 102 of the Companies Act, 2013 can be obtained free of charge (except Saturdays, Sundays and Public Holidays) at the registered office of the Transferee Company or at the Corporate Office of the Transferee Company at C-40, Sector-59, NOIDA-201307 or at the office of Mr. Abhishek Nahta, Chartered Accountant at R-46, Lower Ground Floor, Greater Kailash-I, New Delhi - 110048. Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Transferee Company at B - 104 A, Greater Kailash, Part - 1, New Delhi - 110048 not later than 48 hours before the meeting.

Forms of proxy can be had at the registered office and/ or the corporate office of the Transferee Company.

The Tribunal has appointed Ms. Ranjana Roy Gowal as the Chairperson and Ms. Misha as the Alternate Chairperson of the said meeting of the Equity Shareholders. The Tribunal has also appointed Mr. Vivek Goel as the scrutinizer. The above mentioned amalgamation, if approved at the meeting, will be subject to the subsequent approval of the Tribunal.

In compliance with Sections 108 read with Sections 230 - 232 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has provided the facility to the Equity shareholders to cast their votes by the way of remote e-voting in respect of the resolution as set out in the Notice through electronic voting systems of Central Depository Services (India) Ltd. ("CDSL") prior to the meeting. In this regard, the shareholders may note that:


- The cut-off date for determining the eligibility of equity shareholders for voting is March 23, 2018. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the Cut-off date only shall be entitled to the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting. A person who is not an equity shareholder as on this date may treat this advertisement for information purposes only.
- The equity shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the Tribunal convened meeting but shall not be entitled to vote again. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the meeting.
- On April 02, 2018 the Transferee Company has completed the dispatch of the notice of the meeting to all the equity shareholders of the Company (as at Cut-Off Date i.e. March 23, 2018).
- Notice of the meeting is also available on the website of the Transferee Company i.e. www.rsystems.com and also on CDSL's website www.evotingindia.com.
- The Remote e-voting period begins on Wednesday, April 04, 2018 at 10:00 A.M. and ends on Friday, May 04, 2018 at 5:00 P.M. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date.
- The procedure for Remote e-voting is available in the Notice of the meeting as well as on the website of the Transferee Company i.e. www.rsystems.com and also on CDSL's website www.evotingindia.com.
- The Scrutinizer appointed for Voting Process (i.e. voting through Ballot Paper at the meeting and remote e-voting), will submit his report to the Chairperson of the meeting upon completion of scrutiny, in a fair and transparent manner, of voting not later than forty eight hours from the conclusion of the meeting. The Chairperson shall announce the results of Voting at the Registered Office of the Company. The result will also be posted on the Transferee Company's website, CDSL website, besides communicating the same to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.
- In case of queries, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Bhasker Dubey, Company Secretary & Compliance Officer, C-40, Sector-59, NOIDA, U.P.-201307 at the designated email ID investors@rsystems.com or at telephone No. +91-120-4303500 who will address the grievance connected with the facility for voting by electronic means.

Dated : April 02, 2018

Place : New Delhi

Sd/-

Chairperson appointed for the meeting





आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड

(कारपोरेट पहचान संख्या: L74899DL1993PLC053579)

पंजीकृत कार्यालय : बी - 104ए, ग्रेटर कैलाश - 1, नई दिल्ली - 110 048

कारपोरेट कार्यालय : सी-40, सेक्टर 59, नौयडा, जिला गौतम बुध नगर,

उ०प्र०, इण्डिया - 201 307

दूरभाष : +91 120 4303500; फ़ैक्स : +91 120 2587123

वेबसाइट : www.rsystems.com; ईमेल : rsystems.india@rsystems.com

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण

नई दिल्ली में प्रधान पीठ के समक्ष

कम्पनी आवेदन संख्या सीए(सीएए)-25(पीबी)/2018

कम्पनीज अधिनियम, 2013 के मामले में

तथा

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धाराएँ 230 - 232 एवं अन्य लागू प्रावधानों साथ में पठित कम्पनीज (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के मामले में

तथा

जीएम सोल्युसन्स प्राईवेट लिमिटेड तथा आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एवं उनके सम्बन्धित शेयरधारकों एवं लेनदारों के मध्य समामेलन की योजना के मामले में

तथा

जीएम सोल्युसन्स प्राईवेट लिमिटेड

जिसका पंजीकृत कार्यालय बी - 104ए, ग्रेटर कैलाश, पार्ट - 1, नई दिल्ली - 110048 में स्थित है

CIN: U72900DL2000PTC108233

याचिकाकर्ता कम्पनी-1/अंतरक कम्पनी/समामेली कम्पनी

आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड

जिसका पंजीकृत कार्यालय बी - 104ए, ग्रेटर कैलाश, पार्ट - 1, नई दिल्ली - 110048 में स्थित है, के मामले में

CIN: L74899DL1993PLC053579

याचिकाकर्ता कम्पनी-1/अंतरित कम्पनी/समामेलित कम्पनी

अंतरित कम्पनी के इक्वीटी शेयरधारकों की बैठक की सूचना का विज्ञापन

एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि आदेश दिनांक मार्च 08, 2018, द्वारा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ("अधिकरण") को नई दिल्ली पीठ ने निर्देश दिया है कि अंतरित कम्पनी i.e. आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड के इक्वीटी शेयरधारकों की बैठक आयोजित की जाए, जिसमें उपरोक्त अंतरक कम्पनी का अंतरित कम्पनी के मध्य प्रस्तावित समामेलन पर विचार एवं उचित पाये जाने पर किसी संशोधन सहित अथवा रहित अनुमोदन प्रदान किया जाए।

उपरोक्त आदेश के अनुसरण एवं निर्देशानुसार, पुनः एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि अंतरित कम्पनी के इक्वीटी शेयरधारकों की बैठक शनिवार, मई 05, 2018 को प्रातः 10:00 बजे एअर फोर्स आडीटोरियम, आर्मी हार्स्पिटल रिसर्च एण्ड रिक्रल के नजदीक, सुबोतो पार्क, नई दिल्ली - 110010 में आयोजित की जायेगी जिसमें उपरोक्त इक्वीटी शेयरधारकों से नियत समय व स्थान पर उपस्थित होने का अनुरोध है।

उपरोक्त समामेलन की योजना की प्रतिलिपि एवं कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 230 - 232 एवं धारा 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण अंतरित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय अथवा अंतरित कम्पनी के कारपोरेट कार्यालय सी-40, सेक्टर-59, नौयडा-201307 अथवा श्री अभिषेक नाहटा, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के कार्यालय आर-46, लोअर भूतल, ग्रेटर कैलाश - 1, नई दिल्ली - 110048 से (शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश के अलावा) निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। बैठक में उपस्थित एवं वोट देने के अधिकृत व्यक्ति, स्वयं अथवा प्राक्सी द्वारा वोट दे सकते हैं बशर्त सभी प्राक्सियों निर्धारित प्रपत्र में अंतरित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय बी - 104ए, ग्रेटर कैलाश, पार्ट - 1, नई दिल्ली - 110048 में बैठक शुरू होने के 48 घन्टे पहले जमा करा दी जाए।

प्राक्सी प्रपत्र अंतरित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय अथवा कारपोरेट कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

अधिकरण ने सुश्री रंजना राय गोवर्दी को इक्वीटी शेयरधारकों की उपरोक्त बैठक का अध्यक्ष एवं सुश्री मिशा को वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। अधिकरण ने श्री विवेक गोयल को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उपरोक्त वर्णित समामेलन योजना, यदि बैठक में पारित हो जाती है, तो इसके बाद अधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 साथ में पठित धाराएँ 230 - 232 एवं कम्पनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 साथ में पठित कम्पनीज (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 एवं सिक्वोरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) नियम, 2015 के नियम 44 के अनुपालन में कम्पनी अपने शेयरधारकों को उपरोक्त सूचना में निर्दिष्ट प्रस्ताव पर बैठक से पहले अपना वोट करने के लिए सैन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इण्डिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को प्रयोग कर, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस सम्बन्ध में शेयरधारक नोट करें कि:

- मतदान के लिए इक्वीटी शेयरधारकों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए कट ऑफ तिथि मार्च 23, 2018 है। वे व्यक्ति, जिनके नाम कट ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज के लाभदायक स्वामी की पंजिका में अंकित हैं केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा एवं बैठक में वोटिंग के हकदार होंगे। वे व्यक्ति जो इस तिथि को इक्वीटी शेयरधारक नहीं हैं, इस विज्ञापन को केवल सूचना उद्देश्य के लिए ले सकते हैं।
- इक्वीटी शेयरधारक जिसने बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दे दिया है वह अधिकरण द्वारा निर्देशित बैठक में भाग ले सकता है लेकिन पुनः वोट देने का हकदार नहीं होगा। बैलट प्रपत्र द्वारा वोट देने की सुविधा बैठक में उपलब्ध करायी जायेगी।
- अंतरित कम्पनी द्वारा कम्पनी के सभी इक्वीटी शेयरधारकों को जो कट-ऑफ तिथि i.e. मार्च 23, 2018 को शेयरधारक थे, को बैठक की सूचना भेजने का कार्य अप्रैल 02, 2018 को पूरा कर लिया है।
- बैठक की सूचना अंतरित कम्पनी की वेबसाइट i.e. www.rsystems.com एवं साथ में सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।
- रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, अप्रैल 04, 2018 को प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ होकर शुक्रवार, मई 04, 2018 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति उपरोक्त समय एवं तिथि के उपरान्त नहीं होगी।
- रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया बैठक की सूचना के साथ अंतरित कम्पनी की वेबसाइट i.e. www.rsystems.com एवं साथ में सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।
- बैठक के उपरान्त, वोटिंग प्रक्रिया (i.e. बैलट प्रपत्र द्वारा बैठक में वोटिंग एवं रिमोट ई-वोटिंग) के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक, वोट की पारदर्शी एवं निष्पक्ष जाँच के उपरान्त अपनी रिपोर्ट बैठक के अध्यक्ष को बैठक की समाप्ति के 48 घन्टे में देंगे। अध्यक्ष वोटिंग परिणाम कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में घोषित करेंगे। वोटिंग के परिणाम अंतरित कम्पनी के वेबसाइट, सीडीएसएल वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के अलावा बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड को भी सूचित किये जायेंगे।
- पूछताछ की दशा में, सदस्य फ़िक्वेन्टली आक्सड क्वेश्चन ("एफएक्यू") और ई-वोटिंग नियम पुस्तक को संदर्भित कर सकते हैं जो www.evotingindia.com के सहायता भाग पर उपलब्ध है अथवा ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर लिख सकते हैं अथवा श्री भास्कर दुबे, कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी, सी-40, सेक्टर-59, नौयडा, उ० प्र०, इण्डिया - 201 307 के नामित ई-मेल आईडी investors@rsystems.com अथवा दूरभाष न० +91 120 4303500 पर संपर्क कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से सम्बन्धित शिकायतों को संबोधित करेंगे।

तिथि : अप्रैल 02, 2018

स्थान : नई दिल्ली

हस्ता०/-

बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

